उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-1/2018/21/1/2013/का-2/2018

लखनऊ, दिनांक : 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल "उत्तर प्रदेश सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-6 का संशोधन "उत्तर प्रदेश सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014" में, नियम-6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
6(3) चयन **एक हजार** अंकों का होगा। उम्मीदवारों की वरीयता सूची निम्नलिखित रीति में तैयार की जायेगी :-	6(3) चयन **आठ सौ पचास** अंको का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :-
(क) **सात सौ पचास** अंको की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक हेतु **तीन सौ पचहत्तर** अंकों के दो प्रश्न-पत्र होंगे।	(क) **सात सौ पचास** अंको की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक हेतु **तीन सौ पचहत्तर** अंकों के दो प्रश्न-पत्र होंगे।
(ख) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार **दो सौ पचास** अंकों का होगा।	((ख) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक पर पहुँच सके हों। साक्षात्कार **एक सौ** अंकों का होगा।
(ग) साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।	(ग) साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।
(घ) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि खण्ड (ग) के	(घ) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि खण्ड (ग) के अधीन उनके द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विधावार पृथक सूचियाँ तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विधावार पृथक सूचियाँ तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2018/21/1/2013-k-2, dated April 05, 2018:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION
Miscellaneous

No.. 1/2018/21/1/2013-k-2./2018
Dated Lucknow, April 05, 2018

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Assistant Engineer's Combined Competitive Examination Rules, 2014 :

THE UTTAR PRADESH ASSISTANT ENGINEER'S COMBINED COMPETITIVE EXAMINATION (FIRST AMENDMENT) RULES, 2018

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called **The Uttar Pradesh Assistant Engineer's Combined Competitive Examination (First Amendment) Rules, 2018.**

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 6

In The Uttar Pradesh Assistant Engineer's Combined Competitive Examination Rules, 2014 in rule 6, for existing clause(3) set out in Column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COULMN-1	COULMN-2
Existing Clause	Clause as hereby subsituted
6(3) Selection shall carry **one thousand** marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the	6(3) Selection shall carry **Eight Hundred Fifty** marks. The merit list of the candidates shall be prepared

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

following manner:-	in the following manner:-
(a) There shall be an objective type written examination of **seven hundred fifty** marks consisting of two papers of **three hundred seventy five** marks each.	(a) There shall be an objective type written examination of **seven hundred fifty** marks consisting of two papers of **three hundred seventy five** marks each.
(b) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the provisions of reservation, summon for interview such number of candidates as , on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The interview shall carry **two hundred fifty** marks.	(b) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the provisions of reservation, summon for interview such number of candidates as , on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The interview shall carry **one hundred** marks.
(c) The marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained in the written examination.	(c) The marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained in the written examination.
(d) The Commission shall prepare discipline wise separate lists of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by them under clause (c). If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. In case	(d) The Commission shall prepare discipline wise separate lists of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by them under clause (c). If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. In case two

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list.	or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list.

By order,

Deepak Trivedi
Additional Chief Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।